...पुर) राज

1/08/17 आज यह पत्रावली वादी के प्रा०पत्र धारा 152 सी०पी०सी० के तहत दफ्तर से तलब की गई। प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र के आधार पर डिक्री का अवलोकन किया। डिक्री में प्रति. नं. 14 भैरोसिंह का नाम सटवन से डिक्री में नाम लिख गया है जो सहवन गलती से हुआ। भैरोसिंह के स्थान पर सरोज पत्नी गोविन्द सिंह व सरोज देवी पत्नी महेश कौम काछी सा० आमली पाडा कस्बा बाडी दर्ज होना चाहिए लिहाजा डिक्री में संशोधन करते हुए। फैसला ...